

कार्यालयः—श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर
क्रमांक—२८३/सीजेएम/2023 सागर, दिनांक—०४-सितम्बर-२०२३
आपराधिक कार्य विभाजन आदेश २०२३ (संशोधन क्र.०३)

(द.प्र.सं. 1973 की धारा—१४ व १५ के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

प्रशासनिक दृष्टि से “कार्य विभाजन पत्रक आदेश २०२३” दि. ०८.०४.

२०२३ में दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १५(२) के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की जाकर उनके स्थान पर निम्नानुसार नवीन कंडिकायें सूजित की जाती हैं:-

क्रं	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
१	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर	आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, गोपालगंज, एवं केंट,	१—पुलिस थाना मोतीनगर गोपालगंज, एवं केंट से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी एवं उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों एवं विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) २— संबंधित थानों के सिनेमा अधिनियम, एवं कॉपीराइट एक्ट के प्रकरण। ३— संपूर्ण जिला सागर के सभी थाना से संबंधित खारिजी आवेदन। ४— नगर निगम सागर, नापतौल विभाग एवं अन्य समस्त शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। ५— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., १९४० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। ६—सागर क्षेत्र के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेंटल हेल्थ एक्ट १९८७ के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे। ७— क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण ८— संपूर्ण सागर जिला में पदरथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा ४१० द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। ९— साक्षियों के क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां। १०— खाद्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण। (सागर तहसील से संबंधित) ११— ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस

न्यायालय को अंतरित किये जाये।

2	श्रीमती उर्मिला खेड़कर, आरक्षी जेएमएफसी सागर	केन्द्र राहतगढ़ एवं सिविल लाईन	1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ एवं सिविल लाईन से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां। 2— आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ एवं सिविल लाईन से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
3	श्री राजकुमार त्रिपाठी जेएमएफसी सागर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मकरोनिया, वन, विभाग एवं यातायात	1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना— कोतवाली, मकरोनिया, वन एवं यातायात से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां। 2— तहसील सागर एवं तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन से संबंधित प्रकरण। 3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
4	सुश्री मीनू पचौरी दुबे जेएमएफसी सागर	आरक्षी सानौंधा केन्द्र,	1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्र, सानौंधा से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

5 श्री आशीष शर्मा
 (सीनियर)
 जेएमएफसी सागर

.6 श्री राहुल सोनी,
 जेएमएफसी सागर

आरक्षी केन्द्र,
बहेरिया

आरक्षी केन्द्र,
नरयावली

2—आरक्षी केन्द्र, सानौधा से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित

3—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

4—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना बहेरिया, से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना नरयावली से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने एवं थाना मकरोनिया से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक

7 सुश्री प्रीति ठाकुर,
जेएमएफसी सागर

आरक्षी केन्द्र-
सुरखी

मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं
अन्य आदेशित कार्य।

8. सुश्री पूजा अहिरवार,
जेएमएफसी सागर

आरक्षी केन्द्र,
महिला थाना

- 1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **सुरखी** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।
- 2— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।
- 3— आरक्षी केन्द्र—**कोतवाली** एवं **मकरोनिया** से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।
- 4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना—**महिला थाना** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2— आरक्षी केन्द्र—**महिला थाना** से संबंधित से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

4— थाना **सिविल लाईन** से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले

9

श्री दीक्षा अग्रवाल
जेएमएफसी सागर

10

सुश्री रीना शर्मा,
जेएमएफसी सागर

आरक्षी केन्द्र,
श्रम एवं खनिज

मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

5—आरक्षी केन्द्र बहेरिया से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समरत मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना श्रम एवं खनिज विभाग** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समरत वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2— तहसील सागर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न **खनिज विभाग** से संबंधित प्रकरण।

3—केन्द्रीय श्रम परिवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत समरत परिवाद एवं श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत समरत परिवाद।

4—**थाना गोपालगंज, मोतीनगर व केंट** से उत्पन्न से महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से संबंधित प्रकरण एवं थाना गोपालगंज, मोतीनगर व केंट से उत्पन्न धारा 156(3) दंप्रसं के आवेदन।

5—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

6—थाना **राहतगढ़** से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

आरक्षी केन्द्र,
जैसीनगर

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना जैसीनगर** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समरत वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3— आरक्षी केन्द्र, जैसीनगर से उद्भूत

अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

11 श्री विनय सिंह राजपूत, आरक्षी केन्द्र,
जे.एम.एफ.सी. सागर आबकारी
सागर मुख्यालय से संबंधित

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना आबकारी सागर मुख्यालय से संबंधित** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2—**थाना मोतीनगर, गोपालगंज व केंट**, से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

12 सुश्री सुरभि सिंह सुमन, आरक्षी केन्द्र,
जे.एम.एफ.सी., सागर जी.आर.पी.
सागर

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना जी.आर.पी. सागर** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से एवं **थाना कोतवाली** से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3— आरक्षी केन्द्र, नरयावली से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित)अन्य विविध कार्यवाहियां सहित।

4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

जेएमएफसी खुरई खुरई

13.

**सुश्री आरती आर्य
जेएमएफसी खुरई**

आरक्षी केन्द्र
मालथौन,
खिमलासा

सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवाई योग्य मामले एवं पुलिस **थाना खुरई** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।

3—आरक्षी केन्द्र, खुरई से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— नगर पालिका खुरई सीमा को छोड़कर तहसील खुरई के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय की अधिकारिता वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक प्रकरण, जिनका उल्लेख ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में किया गया है।

5— खुरई तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।

6— आबकारी वृत्त खुरई से उत्पन्न प्रकरण।

7— उपजेल-खुरई में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं।

8— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना मालथौन एवं खिमलासा** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की

कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, मालथौन एवं खिमलासा से उद्भूत एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— मालथौन तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।

5— आबकारी वृत्त मालथौन एवं खिमलासा से उत्पन्न प्रकरण।

6— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना बॉदरी से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण व सभी विविध आपराधिक कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, बॉदरी से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

14 सुश्री सौम्या विजयवर्गीय आरक्षी केन्द्र जे.एम.एफ.सी. खुरई बॉदरी

15 श्री विजयेन्द्र सिंह रावत
जे.एम.एफ.सी. बीना

आरक्षी केन्द्र
बीना, जी.
आर.पी., बीना

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना बीना एवं जी.आर.पी., बीना से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियाँ एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण व सभी विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3— तहसील बीना के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।

4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

16 श्री आशुतोष यादव,
जे.एम.एफ.सी., बीना

आरक्षी केन्द्र
आगासौद

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस आरक्षी केन्द्र, आगासौद से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियाँ एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियाँ।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3— आबकारी वृत बीना से उत्पन्न प्रकरण।
4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

17 सुश्री सौम्या साहू
जे.एम.एफ.सी. बीना

आरक्षी केन्द्र
भानगढ़

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना भानगढ़ से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा

			आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।
18	श्री सदाशिव दांगोड़े जेएमएफसी देवरी	आरक्षी केन्द्र देवरी	2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही 3—आरक्षी केन्द्र, बीना, जी.आर.पी. बीना, आगासौद एवं भानगढ़ से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समरत मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। 4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
19	श्री मनोरम तिवारी, जेएमएफसी देवरी	आरक्षी केन्द्र महाराजपुर	1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <u>थाना—देवरी</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां। 2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही 3—तहसील देवरी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

20

**सुश्री प्राची कौरव,
जे.एम.एफ.सी देवरी**

आरक्षी केन्द्र
गौरज्ञामर
(गौरज्ञामर के
अंतर्गत आने
वाले वे ग्राम
जो कि तहसील
देवरी के
अंतर्गत आते हैं,
से उत्पन्न होने
वाले प्रकरण।)

कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आबकारी वृत्त तहसील देवरी से उत्पन्न प्रकरण।

4—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना गौरज्ञामर** (गौरज्ञामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, महाराजपुर, गौरज्ञामर, एवं देवरी से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिवेशन 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

21

**श्री सत्यम देवलिया,
जे.एम.एफ.सी केसली**

आरक्षी केन्द्र
केसली
(गौरज्ञामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली

1—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना केसली** (गौरज्ञामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा

	वाले प्रकरण।)	आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं समस्त विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।
21	श्री सतीष शर्मा, जेएमएफसी रहली	2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही
22	सुश्री प्राची श्रीवास्तव जेएमएफसी रहली	3— तहसील केसली के अन्तर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 4— आबकारी वृत तहसील केसली से उत्पन्न प्रकरण। 5— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
	आरक्षी केन्द्र रहली	1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <u>थाना रहली</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां। 2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही 3—आबकारी वृत रहली से उत्पन्न प्रकरण। 4— तहसील रहली के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन विभाग एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण। 5— उपजेल—रहली में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं। 6— समय—समय पर माननीय जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
	चौकी बलेह	1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <u>चौकी बलेह</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान,

परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं रथाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, रहली एवं चौकी बलेह से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

23 श्री आशीष धुर्वे आरक्षी केन्द्र
जे.एम.एफ.सी. गढ़ाकोटा गढ़ाकोटा

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना गढ़ाकोटा** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं रथाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3— तहसील गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण।

4. आबकारी वृत गढ़ाकोटा से उत्पन्न प्रकरण।

5. समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

24 श्रीमती पल्लवीसिंह, —
जे.एम.एफ.सी., गढ़ाकोटा

1. थाना गढ़ाकोटा के अंतर्गत आने वाले महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य

सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

2.समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

25 सुश्री संजना सरल,
जेएमएफसी, बण्डा

आरक्षी केन्द्र
बण्डा एवं
विनायका

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना बण्डा एवं विनायका** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन. आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, बण्डा एवं विनायका से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— आबकारी वृत बण्डा से उत्पन्न प्रकरण।

5—तहसील बण्डा एवं तहसील शाहगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन एवं खनिज से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण।

6— उपजेल—बण्डा में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं।

7—समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

26 सुश्री प्रिया गुप्ता,
जेएमएफसी बण्डा

—

--

27 सुश्री ज्योत्सना तोमर,
जे.एम.एफ.सी.,बण्डा

आरक्षी
केन्द्र-बहरोल,
शाहगढ़,
बरायठा एवं
छानबीला

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना बहरोल, शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण की कार्यवाहियां।

2—संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं समस्त सैंपलिंग कार्यवाही

3—आरक्षी केन्द्र, बहरोल, शाहगढ़, बरायठा एवं छानबीला से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद (घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, भरण पोषण, के प्रकरण, अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।

4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला सागर म०प्र०

सामन्य आदेश

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को संबंधित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक—एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य –रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है। ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा किसी बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारण्ट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे। **न्यायिक मजिस्ट्रेट** की अनुपस्थिति में **अनुलग्नक—एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग पत्र भी लिये जावेंगे, वह उनके न्यायालय में ही सी.आई.एस. में दर्ज करावे जावें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किये जावें।
5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक् करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।
6. सागर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सुपुर्दगी की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार की जावेगी।
7. सागर जिले की तहसील में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
8. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
9. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।
11. सागर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में **धारा 164** दं.प्र.सं. के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक—दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे।

12. जिन मजिस्ट्रेट्स का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किरी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे संबंधित समस्त वारण्ट/स्थायी वारण्ट सहित एवं रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां अन्य विविध कार्यवाहियां, तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन मुख्यालय पर संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
14. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. समस्त अभियोग पत्र में टाईप्ड एम.एल.सी. संलग्न कराना सुनिश्चित करें।
16. विचाराधीन बण्डल फाईल (**रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र**) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।
17. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक 1295/सीजे-ा/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. धारा 325 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा सम्पत्ति भी भेजी जावे।
19. सागर मुख्यालय पर अनुलग्नक क्र.01 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न होने पर प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।
20. केन्द्रीय जेल सागर में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं. के तहत जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपजेल में निरुद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच की धारा 176 द.प्र.सं. की कार्यवाही उस तहसील मुख्यालय के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
21. रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस प्रोटोकॉल आने पर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेगा।

नोट:-1- उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय के संबंध में भी लागू होगा, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, सागर में कोई सदस्य उपलब्ध न होने पर किशोर न्याय बोर्ड, सागर की पीठासीन अधिकारी के द्वारा **रिमाण्ड कार्य** सम्पादित किया जावेगा, इनके अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानान्तरण होने की दशा में सुश्री मीनू पचौरी दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री प्रीति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा सुश्री प्रीति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक—एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड संबंधी कार्य निष्पादित किया जावेगा।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0

अनुलग्नक—एक

1. नीचे दी गयी सूची के कालम क्रमांक—1 में नामित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके न्यायालय के आवश्यक कार्य क्रमशः कालम क्रमांक—2, 3, 4 में नामित मजिस्ट्रेट करेंगे।
2. कालम क्रमांक—1, 2, 3, 4 में नामित चारों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कालम क्रमांक—4 में नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आवश्यक प्रभार वाले मजिस्ट्रेट क्रमानुसार किया जावेगा।

क कॉलम क्रमांक—1 कॉलम क्रमांक—2 कॉलम क्रमांक—3 कॉलम क्रमांक—4

1	श्रीमती किरण तुमराची श्रीमती उर्मिला खेडकर धुवे	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे श्री आशीष शर्मा
2	श्रीमती उर्मिला खेडकर	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे श्री राहुल सोनी
3	श्री राजकुमार त्रिपाठी	श्री राहुल सोनी श्री आशीष शर्मा
4	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	सुश्री प्रीति ठाकुर सुश्री सुरभिसिंह सुमन श्री विनय राजपूत
5	श्री आशीष शर्मा सीनियर	श्री विनयसिंह राजपूत सुश्री पूजा अहिरवार
6	श्री राहुल सोनी	सुश्री रीना शर्मा सुश्री प्रीति ठाकुर
7	सुश्री प्रीति ठाकुर	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे सुश्री पूजा अहिरवार
.8	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	श्री विनयसिंह राजपूत सुश्री रीना शर्मा
9	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री दीक्षा अग्रवाल श्री विनयसिंह राजपूत
10	सुश्री रीना शर्मा	सुश्री दीक्षा अग्रवाल सुश्री पूजा अहिरवार
11	श्री विनयसिंह राजपूत	सुश्री पूजा अहिरवार श्री आशीष शर्मा सीनियर
12	सुश्री सुरभिसिंह सुमन	सुश्री दीक्षा अग्रवाल श्रीमती मीनू पचौरी दुबे
13	श्रीमती रुचितासिंह गुर्जर	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
14	सुश्री आरती आर्य	श्रीमती रुचितासिंह गुर्जर तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
15	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	सुश्री आरती आर्य तहसील बीना में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
16	श्री विजेन्द्रसिंह रावत	सुश्री सौम्या साहू तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
17	श्री आशुतोष यादव	सुश्री सौम्या साहू तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
18	सुश्री सौम्या साहू	श्री विजेन्द्रसिंह रावत तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
19	श्री सदाशिव दांगोडे	श्रीमती प्राची कौरव श्री सतीष शर्मा
20	श्री मनोरम तिवारी	श्रीमती प्राची कौरव सुश्री प्राची श्रीवास्तव
21	सुश्री प्राची कौरव	श्रीमती प्राची कौरव सुश्री प्राची श्रीवास्तव
22	श्री सतीष शर्मा	श्री सदाशिव दांगोडे श्री आशीष धुर्वे श्रीमती पल्लवीसिंह
23	सुश्री प्राची श्रीवास्तव	श्रीमती सतीष शर्मा श्रीमती पल्लवीसिंह श्री आशीष धुर्वे

24	श्री आशीष धुर्वे	श्रीमती पल्लवीसिंह.	सुश्री प्राची श्रीवारत्व	श्री सतीष शर्मा
25	श्रीमती पल्लवीसिंह	श्री आशीष धुर्वे	श्री सतीष शर्मा	सुश्री प्राची श्रीवारत्व
26	श्रीमती संजना सरल	सुश्री ज्योत्सना तोमर	श्रीमती मीनू पचौरी दुब	श्रीमती उर्मिला खेडकर
27	सुश्री प्रिया गुप्ता	श्रीमती संजना सरल	सुश्री ज्योत्सना तोमर	सुश्री पूजा अहिरवार
28	सुश्री ज्योत्सना तोमर	सुश्री संजना सरल	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	सुश्री रीना शर्मा
29	श्री सत्यम देवलिया	श्री मनोरम तिवारी	श्रीमती प्राची कौरव	श्री सदाशिव दागौँडे

नोट:- 1—उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में भी लागू होगा।

2:- इसी तरह अवकाश के दिनों में संपादित की जाने वाली रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में यदि किसी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो जाता है या कोई मजिस्ट्रेट लंबी अवधि के अवकाश पर जाता है, तो कार्य विभाजन पत्रक के अनुलग्न—एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।

(श्रीमती विरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म.प्र.

कार्यालय :-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर जिला सागर मध्यप्रदेश

-: आपराधिक संशोधित कार्य विभाजन पत्रक-धारा-164 द.प्र.सं. :-

(अनुलग्नक "दो")

सारणी क्रमांक-1

महिला संबंधी अपराधों से संबंधित मामले

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1-	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे, सागर	नरयावली, बहेरिया,
2-	सुश्री प्रीति ठाकुर, सागर	मोतीनगर, महिला थाना,
3-	सुश्री सुरभिसिंह सुमन, सागर	मकरोनिया, केण्ट, सानौधा
4-	सुश्री रीना शर्मा, सागर	अजाक, आबकारी थाना, राहतगढ़ ।
5-	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	कोतवाली, जैसीनगर, जी.आर.पी. सागर,
6-	सुश्री पूजा अहिरवार	सुरखी, सिविल लाईन, गोपालगंज
7-	सुश्री रुचिता सिंह गुर्जर, खुरई	मालथौन, खिमलासा,
8-	सुश्री आरती आर्य, खुरई	बांदरी
9-	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	खुरई, भानगढ़
10-	सुश्री संजना सरल, बण्डा	शाहगढ़, बरायठा, बहरोल एवं छानबीला
11-	सुश्री ज्योत्सना तोमर, बण्डा	बण्डा एवं बिनायका
12-	श्रीमती पल्लवी सिंह, गढ़ाकोटा	गढ़ाकोटा, रहली
13-	सुश्री प्राची श्रीवास्तव, रहली	केसली, महाराजपुर, गौरज्ञामर, देवरी, (धारा 354 से संबंधित अपराध)
14-	सुश्री प्राची कौरव, देवरी	केसली, महाराजपुर, गौरज्ञामर एवं देवरी (धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध तथा एस.सी.एस.टी. से संबंधित अपराध भी)
15-	सुश्री सौम्या साहू	आरक्षी केन्द्र, बीना, आगासौद, भानगढ़, एवं जी.आर.पी., बीना (धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध

		तथा एस.सी.एस.टी. से संबंधित अपराध भी)
16—	श्री विजयेन्द्रसिंह रावत, बीना	आगासौद, भानगढ़(धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध तथा एस.सी.एस.टी. से संबंधित अपराध को छोड़कर शेष समस्त अपराधों में)
17—	श्री आशुतोष यादव, बीना	बीना, जी.आर.पी.बीना,(धारा 376 एवं पॉक्सो से संबंधित अपराध तथा एस.सी.एस.टी. प्रकरणों से संबंधित अपराध को छोड़कर शेष समस्त अपराधों में))

- नोट :-1.** जिला मुख्यालय, सागर पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर मुख्यालय में पदस्थ सुश्री दीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर द्वारा धारा 164 दप्रसं के संबंध में समस्त कथन अंकित किये जावेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर तहसील मुख्यालयों पर पदस्थ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर नजदीकी मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन लेखबद्ध किये जावेंगे और यदि वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, तो अनुलग्नक—एक के अनुसार उनका प्रभार रखने वाले महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जायेंगे।
- 2.. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के अतिरिक्त यदि कोई भी धारा 164दं.प्र. सं. के कथन आते हैं तो जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे। महिला मजिस्ट्रेट न होने की दशा में उक्त स्थापना के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किये जावेंगे।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म.प्र.

सारणी क्रमांक—2

महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों को छोड़कर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अभिलिखित करेंगे :—

<u>क्रमांक</u>	<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम</u>	<u>आरक्षी केन्द्र</u>
1	2	3
1—	श्री आशीष शर्मा सीनियर, सागर	मकरोनिया, गोपालगंज, नरयावली, कोतवाली, जी.आर.पी., सागर
2—	श्री विनयसिंह राजपूत, सागर	सुरखी, केण्ट, राहतगढ़, बहेरिया,
3—	श्री राहुल सोनी, सागर	सिविल लाईन, जैसीनगर, सानौदा, मोतीनगर, वन विभाग एवं खनिज विभाग एवं आबकारी,
4—	सुश्री रुचिता सिंह गुर्जर, खुरई	मालथौन, बांदरी
5—	सुश्री आरती आर्य, खुरई	खुरई
6—	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	खिमलासा
7—	श्री ब्रजेन्द्र सिंह रावत, बीना	आगासौद, भानगढ़
8—	श्री आशुतोष यादव, बीना	बीना, जी.आर.पी.बीना
9—	सुश्री संजना सरल, बण्डा	शाहगढ़, बहरोल, बरायठा एवं छानबीला
10—	सुश्री ज्योत्सना तोमर, बण्डा	बण्डा एवं बिनायका
11—	श्री सतीष शर्मा, रहली	गढ़ाकोटा
12—	श्री आशीष धुर्वे, गढ़ाकोटा	रहली
13—	श्री सदाशिव दांगोड़े, देवरी	आरक्षी केंद्र महाराजपुर, केसली एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं) से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।
14—	श्री मनोरम तिवारी, देवरी	आरक्षी केंद्र देवरी से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।
15—	श्री सत्यम देवलिया, केसली	आरक्षी केन्द्र, गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं)।

- 1— सारणी क्रमांक—2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर अनुलग्नक—एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा—164 दंप्र०सं० के तहत

कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभारी कथन लेंगे, यदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लेने से इन्कार करते हैं या ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे साक्षी के कथन लेने में असुविधा होती हो, तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करेंगे।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर जिला सागर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Shri Kiran Tumrao
(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

